

क्रमांक/परिषद्/ब्रिज कोर्स/2017-18/5155

रायपुर दिनांक, 27.10.2017

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
छत्तीसगढ़

विषय—शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अपेक्षानुसार शालाओं में कार्यरत बी.एड. (B.Ed.) डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (Professional Development Programme For Elementary Teachers - PDPET) में 6 महीने का ब्रिज कोर्स।

संदर्भ—अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 17-2/2017-EE, 17 दिनांक 03-08-2017

—0000—


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत शालाओं (शासकीय एवं निजी) में अधिनियम प्रभावशील होने के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित योग्यताएँ प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि में संशोधन कर दिनांक 31.03.2019 की समय सीमा नियत की गयी है।

भारत सरकार की अपेक्षानुसार तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बी.एड. (B.Ed.) डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) में पढ़ाने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (Professional Development Programme For Elementary Teachers - PDPET) में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

1. बी.एड. (B.Ed.) डिग्री धारक शिक्षकों को (कक्षा 1 से 5 में अध्यापन करा रहे हैं) ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
2. शिक्षक, प्राथमिक स्तर पर सेवारत होना चाहिए तथा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहा हो।
3. शिक्षक आरटीई अधिनियम 2009 धारा 2(n) के तहत परिभाषित स्कूल में पढ़ा रहा हो तथा आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती किया गया हो।
4. ऐसे शिक्षक जिनके पास एनसीटीई (NCTE) से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बी.एड. की डिग्री है वे ही इस कार्यक्रम को कर सकते हैं।
5. रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2017 है।


2

6. रजिस्ट्रेशन के लिए एनआईओएस की वेबसाइट [www.nios.ac.in](http://www.nios.ac.in) या [dledbr.nios.ac.in](http://dledbr.nios.ac.in) पर जाकर प्रवेश लें। इसके अतिरिक्त NIOS BRIDGE मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
7. पाठ्यक्रम शुल्क रू. 5000/- है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क रू. 250/- प्रति प्रयास (attempt) प्रति विषय है जो कि ऑनलाइन भरना है।
8. पाठ्यक्रम संबंधी संपूर्ण जानकारी NIOS की वेबसाइट [www.nios.ac.in](http://www.nios.ac.in) से प्राप्त करें।
9. यह कोर्स एनसीटीई (NCTE) से स्वीकृत है। कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है।
10. सभी पात्र शिक्षकों को स्वयं पंजीयन करना है एवं पंजीयन उपरांत अपने संस्था प्रमुख से सत्यापन कराना अनिवार्य है।
11. "सभी वीडियो लेक्चर 'स्वयंप्रभा' (चैनल-32), DD Direct (DTH) तथा DISH TV पर प्रसारित किए जा रहे हैं, साथ ही ये YOUTUBE (Ch-32 Teacher Education) पर भी उपलब्ध हैं।"
12. SCERT, RAIPUR के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> को नियमित रूप से देखें।
13. विद्यार्थी सहायता केन्द्र टॉल फ्री नं: 1800 180 9393, वेबसाइट: [www.nios.ac.in](http://www.nios.ac.in) ई-मेल : [dled\\_enquiries@nios.ac.in](mailto:dled_enquiries@nios.ac.in) एनआईओएस मुख्यालय ए-24/25, सेक्टर-62, नोएडा, उ0प्र0-201309 ।

  
 (सुधीर कुमार अग्रवाल)  
 संचालक  
 एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर

पृष्ठां. क्रमांक/परिषद्/ब्रिज कोर्स/2017-18/5156 रायपुर दिनांक,  
 प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

  
 संचालक  
 एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर